आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 87/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

भारतीय स्टेट बैंक, शाखा तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा तृतीय मंजिल, मेट्रिक्स मॉल, सेक्टर 4, जवाहर नगर, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक

बनाम

1. मैसर्स प्लाई इंडिया जरिये प्रोपराईटर स्व. श्री कमलेश कुमार गुप्ता पुत्र स्व. श्री गोकुल चंद गुप्ता जरिये विधिक वारिसान,
   पता:– दुकान नं. बी–9, बेसमेन्ट गोविन्दम कॉम्पलेक्स, प्लॉट नं. 154, एससी रोड़, जयपुर।
   एवं प्लॉट नं. 154, एस सी रोड़, जयपुर।
2. श्रीमती पिंकी पत्नी स्व. श्री कमलेश कुमार गुप्ता,
3. सुश्री सौम्या गुप्ता पुत्री स्व. श्री कमलेश कुमार गुप्ता,
4. सुश्री शिवांगी गुप्ता पुत्री स्व. श्री कमलेश कुमार गुप्ता,
5. श्री देव रावत पुत्र स्व. श्री कमलेश कुमार गुप्ता,
   पता :– डी–8, अपोलो अपार्टमेन्ट, सेक्टर 3, विद्याधर नगर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थित :–

1. श्री भवानी सिंह नरूका प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक की ओर से।

आदेश दिनांक 02.02.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 16.12.2020 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में स्व. श्री कमलेश कुमार गुप्ता जरिये विधिक वारिसान के स्वामित्व की संपत्ति दुकान नं. बी–9, बेसमेन्ट गोविन्दम कॉम्पलेक्स, प्लॉट नं. 154, एससी रोड़, जयपुर, क्षेत्रफल 180 वर्गफीट को बंधक रखकर एवं उक्त संपति पर स्थित तैयार माल का स्टॉक, स्टोर्स एवं पुर्जे, ट्रांजिट में स्टॉक, विविध देनदार, बुक डेब्ट्स, प्राप्य और अन्य चालू संपत्तियों को हाइपोथिकेट कर कुल राशि 20,00,000/– रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 04.08.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के सुयोग्य प्रतिनिधि को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने अप्रार्थीगण को कुल राशि 20,00,000/– रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए. घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 21,20,180/– रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 04.08.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था/बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था/बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था/बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्री स्व. कमलेश कुमार गुप्ता जरिये विधिक वारिसान के स्वामित्त्व की बंधक संपत्ति दुकान नं. बी–9, बेसमेन्ट गोविन्दम कॉम्पलेक्स, प्लॉट नं. 154, एससी रोड़, जयपुर, क्षेत्रफल 180 वर्गफीट एवं उक्त संपति पर स्थित हाइपोथिकेटेड चल संपत्ति तैयार माल का स्टॉक, स्टोर्स एवं पुर्जे, ट्रांजिट में स्टॉक, विविध देनदार, बुक डेब्ट्स, प्राप्य और अन्य चालू का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

6. आदेश आज दिनांक **02.02.2023** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर